न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 26/22 (वि.प्रा.पत्र)

G.C.M.S. NO. 2022/54

1. श्री नारायण पिता भगवान मेघवाल निवासी– जंसवतपुरा, तहसील कानोड, उदयपुर, जिला उदयपुर।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)

.........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 16.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जंसवतपुरा, पटवार मण्डल सारंगपुरा कानोड़ जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 733 कुल रकबा 2.07 है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार बिलामान काबिल काश्त दर्ज है।

2. भू–प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार रिकार्ड से पूर्व एवं बाद की स्थिति में परिर्वतन होने से रिकार्ड में त्रुटि को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश की गई। जो इस प्रकार हैं :–

   I. यह है कि प्रार्थी की बंदोबस्त से पूर्व भमि राजस्व रिकार्ड ग्राम जंसवतपुरा पटवार मण्डल सारंगपुरा कानोड़ की जामाबंदी 2051–54 में खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 420/7 रकबा 5.00 बीघा नारायण, मोहन, भंवरलाल, प्रेमी, शान्ती पिता भगवान हमूबाई बेवा भगवान मेघवाल सा. दर्ज है।

   II. नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी [illegible] में खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 733 कुल रकबा 2.07 [illegible] खाता बिलामान दर्ज है।

   III. प्रार्थी वर्तमान में आराजी नं. 733 रकबा 2.07 हक्टेयर में प्रार्थी का कब्जा है।

   IV. अत: राजस्व रिकॉर्ड एवं नामांतकरण के अवलोकन के पश्चात आराजी नं. 733 मं 1.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर शुद्ध की अनुशंषा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की ग्राम जंसवतपुरा पटवार मण्डल सांरगपुरा कानोड़ की जमाबंदी 2051–54 में खाता संख्या 181 खसरा नम्बर 420/7 रकबा 5.00 बीघा नारायण, मोहन, भंवरलाल, प्रेमी, शान्ती पिता भगवान हमूबाई बेवा भगवान मेघवाल सा. दर्ज थी जो नवीन सेटलमेंट के बाद जमाबंदी संवत् 2078 में खाता संख्या 01 खसरा 733 पर बिलानाम दर्ज हो गई जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी वर्तमान में आराजी नम्बर 733 रकबा 2.07 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा है। नवीन सेटलमेंट में त्रुटि होने से प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि बिलानाम दर्ज हो गई जिससे संशोधित किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार कानोड द्वारा राजस्व रिकॉर्ड एवं नामांतरण के अवलोकन के पश्चात आराजी नम्बर 733 में 1.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम शुद्धी की जाने की अनुशंषा की गई। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारीयों को भू–प्रबंधन विभाग द्वारा कि गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल की अपील/एल.आर./6933/2011 उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(12) राज. 16/2[illegible] दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिसमें भू–प्रबंधन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड की रिपार्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर प्र.स. 26/22 वि.प्रा.पत्र नारायण बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 16.08.2022

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पंत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जंसवतपुरा पटवार मण्डल सांरगपुरा कानोड़ तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. के जमाबंदी संवत् 2078 खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 733 रकबा 2.07 हैक्टेयर भूमि मे से 1.08 हैक्टेयर भूमि बिलानाम काबिल काश्त से संशोधित कर पूर्व में अभिलिखित खातेदार के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner